संख्या २०१ /उन्तीस(2)/18–2(98पे0)/2012

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 की गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सीवरेज योजना के ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेन्स हेतु लम्बित भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 627/नग0अनु0–जलोत्सारण/58 दिनांक 24.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न सीवरेज पम्पिंग स्टेशनों के रखरखाव एवं संचालन हेतु लम्बित भुगतान की धनराशि ₹ 41.73 लाख (₹ इकतालीस लाख तिहतर हजार मात्र) में से पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 21.11 लाख को कम करते हुए अवशेष ₹ 20.62 लाख (₹ बीस लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही उक्त धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(ii) योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत वित्तीय/तकनीकी नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर की संख्या व दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सीवरेज योजना के रखरखाव एवं संचालन हेतु वास्तविक व्यय हेतु किया जायेगा।

(v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम यह सुनिश्चित कर ले कि योजना को उक्त योजना पूर्ण करने के उपरान्त रखरखाव हेतु यथाशीघ्र उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दी जाय।

(vi) वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना का रखरखाव एवं संचालन जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। इस हेतु पेयजल निगम को कोई धनराशि देय नहीं होगी।

.....2

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

2– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1801132333 दिनांक 29.01.2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–687/XXVII (2)/2018 दिनांक 22 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0 209 (1)/उन्तीस(2)/18–2(98पे0)/2012 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।